न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/436

रामप्यारी पुत्री किशनलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवास ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. चतुर्भुज आत्मज बिरधी लाल जाति माली ।
2. केसर बाई बेवा औंकार जाति माली ।
3. राजेन्द्र आत्मज औंकार माली ।
4. धनेश आत्मज औंकार माली निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. धनकंवर पुत्री औंकार माली पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।
6. धापू पुत्री औंकार पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. मंजू पुत्री औंकार पत्नी कुंज बिहारी जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
8. गंगा बेवा शान्तिलाल जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. महेन्द्र आत्मज शान्ति लाल माली ।
10. राधेश्याम आत्मज शान्तिलाल माली ।
11. विपुल बिहारी पुत्र शान्ति लाल माली ।
12. जय प्रकाश आत्मज शान्ति लाल माली जाति माली निवासीगण घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. राममूर्ति पुत्री शान्ति लाल पत्नी बजरंगलाल माली निवासी थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. संतोषा बाई पुत्री शांति लाल पत्नी रामबाबू माली निवीस रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
15. अमोलक बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी मोती लाल माली निवासी बाडी भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. शान्ति बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी भीमराज माली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा जिला कोटा ।
17. कैलाश बाई पुत्री बिरधी लाल पत्नी नन्दकिशोर माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
18. लटूर पुत्र श्री किशन जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

19. धन्नालाल आत्मज किशनलाल जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. किशनी बाई पुत्री श्री किशन पत्नी शंकर जी निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
21. पार्वती बाई पुत्री किशन जाति माली निवासी नया बरधा तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
22. रतन बाई पुत्री श्री किशन पत्नी मोहन लाल जाति माली निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां ।
23. कालू पुत्र लालू माली जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
    - 23/1. राधाबल्लभ आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 60 वर्ष ।
    - 23/2. जगन्नाथ आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 56 वर्ष ।
    - 23/3. कन्हैया लाल आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 52 वर्ष ।
    - 23/4. ओम प्रकाश आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 45 वर्ष ।
    - 23/5. महावीर आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 42 वर्ष निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
    - 23/5/1. कान्ति बाई पत्नी महावीर निवासी ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
    - 23/6. रामविलास पुत्री स्व0 श्री कालूलाल पत्नी हेमराज आयु 47 वर्ष निवासी सुल्तानपुर बोहरा रोड, गोशाला के पास तहसील दीगोद जिला कोटा।
    - 23/7. विमला पुत्री स्व0 श्री कालूलाल पत्नी धनराज आयु 39 वर्ष निवासी कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2016/438

रामप्यारी पुत्री किशनलाल पत्नी छोटूलाल जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवास ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. चतुर्भुज आत्मज बिरधी लाल जाति माली ।
2. केसर बाई बेवा औंकार जाति माली ।
3. राजेन्द्र आत्मज औंकार माली ।
4. धनेश आत्मज औंकार माली निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. धनकंवर पुत्री औंकार माली पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां ।

6. धापू पुत्री औंकार पत्नी गोविन्द जाति माली निवासी कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. मंजू पुत्री औंकार पत्नी कुंज बिहारी जाति माली निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा ।
8. गंगा बेवा शान्तिलाल जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. महेन्द्र आत्मज शान्ति लाल माली ।
10. राधेश्याम आत्मज शान्तिलाल माली ।
11. विपुल बिहारी पुत्र शान्ति लाल माली ।
12. जय प्रकाश आत्मज शान्ति लाल माली जाति माली निवासीगण घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
13. राममूर्ति पुत्री शान्ति लाल पत्नी बजरंगलाल माली निवासी थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
14. संतोषा बाई पुत्री शांति लाल पत्नी रामबाबू माली निवीस रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
15. अमोलक बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी मोती लाल माली निवासी बाडी भीमपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
16. शान्ति बाई पुत्री बिरधीलाल पत्नी भीमराज माली निवासी छावनी रामचन्द्रपुरा जिला कोटा ।
17. कैलाश बाई पुत्री बिरधी लाल पत्नी नन्दकिशोर माली निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
18. लटूर पुत्र श्री किशन जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
19. धन्नालाल आत्मज किशनलाल जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
20. किशनी बाई पुत्री श्री किशन पत्नी शंकर जी निवासी खेडारसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
21. पार्वती बाई पुत्री किशन जाति माली निवासी नया बरधा तालेडा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
22. रतन बाई पुत्री श्री किशन पत्नी मोहन लाल जाति माली निवासी अन्ता तहसील अन्ता जिला बारां ।
23. कालू पुत्र लालू माली जाति माली निवासी घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
    - 23/1. राधाबल्लभ आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 60 वर्ष ।
    - 23/2. जगन्नाथ आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 56 वर्ष ।
    - 23/3. कन्हैया लाल आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 52 वर्ष ।
    - 23/4. ओम प्रकाश आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 45 वर्ष ।
    - 23/5. महावीर आत्मज स्व0 श्री कालूलाल आयु 42 वर्ष निवासीगण ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
    - 23/5/1. कान्ति बाई पत्नी महावीर निवासी ग्राम घघटाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

23/6. रामविलास पुत्री स्व0 श्री कालूलाल पत्नी हेमराज आयु 47 वर्ष निवासी सुल्तानपुर बोहरा रोड, गोशाला के पास तहसील दीगोद जिला कोटा।
23/7. विमला पुत्री स्व0 श्री कालूलाल पत्नी धनराज आयु 39 वर्ष निवासी कोटसुआं तहसील दीगोद जिला कोटा ।
24. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री महेन्द्र गुर्जर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 23/5/1 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांकः 22.02.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.06.2010 एवं अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान प्रकृति की होने से तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कोटसुआं तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि स्थित है । ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 366 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 4.38 हैक्टर भूमि स्थित है । भूमि सुधार के पूर्व खसरा नम्बर 375 का गत खसरा नम्बर 171 रकबा 4.71 हैक्टर एवं वर्तमान खसरा नम्बर 366 का गत खसरा नम्बर 174 रकबा 1.24 हैक्टर था । सेटलमेंट के पूर्व उक्त वर्णित आराजियात का खसरा नम्बर 161 रकबा 40 बीघा 06 बिस्वा था । उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात भूमि सुधार के पूर्व ग्राम मण्डावरी तहसील दीगोद में स्थित थी परन्तु भूमि सुधार होने के उपरान्त वादग्रसत आराजियात का 0.77 हैक्टर भाग आराजी खसरा नम्बर 1304 से निर्मित होकर ग्राम कोटसुआं में दर्ज किया गया । उक्त कृषि भूमियों वर्तमान में चतुर्भुज, ओंकार लाल, शांतिलाल पुत्र बिरधा, गोमदी बेवा बिरधीलाल, अमोलक बाई, शांति बाई एवं कैलाश बाई पुत्रियों बिरधीलाल, श्री किशन, काल्या पुत्र लाल माली निवासीगण, घघटाना की खातेदारी में दर्ज है जिनमें चतुर्भुज, ओंकार, शांतिलाल गोमदी,

अमोलक, शांति एंव कैलाश बाई का वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार 1/3 हिस्सा एवं श्री किशन काल्या का 2/3 हिस्सा दर्ज है जो सर्वथा गलत एवं आधारहीन है । वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्व पुरूष लालू उर्फ लाल की प्रथम पत्नी से दो पुत्र धूलीलाल एवं बिरधी लाल पैदा हुए । लालू उर्फ लाल एवं उनकी पहली तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी है । लालू उर्फ लाल की पहली पत्नी के पुत्र धूलीलाल निःसंतान थे उनकी पत्नी का नाम पार्वती था उन दोनों में से धूली लाल की मृत्यु पहले हो गयी एवं उसके पश्चात् पार्वती की मृत्यु हो गयी । लालू उर्फ लाला के दूसरे पुत्र बिरधीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नी गोमदी बाई जीवित है । बिरधीलाल के तीन पुत्र चतुर्भुज, औंकार एवं शांतिलाल एवं तीन पुत्रियों अमोलक बाई, शांतिबाई एवं कैलाश बाई हुई जिनमें से औंकार एवं शांतिलाल की मृत्यु हो चुकी है । औंकार की बेवा केसर बाई जीवित है । औंकार के दो पुत्र राजेन्द्र एवं धनेश एवं तीन पुत्रियॉं धनकंवर, धापू एवं मंजू हैं । शांतिलाल के चार पुत्र महेन्द्र, राधेश्याम, विपुल एवं जयप्रकाश हैं तथा दो पुत्रियॉं राममूर्ति बाई एवं संतोष बाई हैं । शांतिलाल की बेवा गंगा बाई जीवित है । लालू उर्फ लाला की दूसरी पत्नी से दो पुत्र श्री किशन एवं कालु उर्फ काल्या हुए जिनमें से श्री किशन की मृत्यु हो चुकी है उनकी बेवा छोटी बाई जीवित है तथा उनके दो पुत्र लटूर एवं धन्ना लाल हैं तथा तीन पुत्रियॉं किशनी बाई, पार्वती बाई एवं रतन बाई हैं । कालू उर्फ काल्या जीवित हैं । वादग्रस्त आराजी को लालू उर्फ लाल्या की पहली पत्नी से उत्पन्न धूलीलाल एवं बिरधीलाल ने क्रय किया था तद्नुसार वादग्रस्त अराजियात धूली लाल एवं बिरधीलाल की स्वअर्जित सम्पत्ति थी परन्तु कुछ समय के पश्चात् धूलीलाल एवं बिरधीलाल ने अपनी बीमाता (लालू की दूसरी पत्नी) से उत्पन्न श्री किशन एवं कालू के प्रति स्नेह एवं प्रेमवश उनका नाम भी अपने द्वारा अर्जित वादग्रस्त आराजियात में दर्ज करा लिया तद्नुसार वादग्रस्त आराजियात के चार खातेदार, धूलीलाल, बिरधीलाल श्री किशन तथा कालू उर्फ काल्या बराबर–बराबर के खातेदार हो गये जिसमें से प्रत्येक का हिस्सा 1/4 – 1/4 हो गया । धूलीलाल एवं उनकी पत्नी पार्वती की मृत्यु होने तथा उनके स्वयं के पुत्र अथवा पुत्री नहीं होने के कारण उनका 1/4 हिस्सा धूलीलाल के दूसरे सगे भाई बिरधीलाल को प्राप्त हो गया । धूलीलाल का हिस्सा उनकी बीमाता से उत्पन्न किशनलाल एवं कालूलाल को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि धूलीलाल की मृत्यु के उपरान्त उनकी विरासत उनकी पत्नी पार्वती को प्राप्त हुई और पार्वती की मृत्यु के उपरान्त धूलीलाल का 1/4 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत धूलीलाल के सगे भाई बिरधीलाल को प्रापत हुआ एवं बिरधीलाल की मृत्यु उपरान्त उनका स्वयं का 1/4 हिस्सा तथा धूली लाल से प्राप्त 1/4 हिस्सा उनके वारिसान को प्राप्त हुआ । तद्नुसार बिरधीलाल का हिस 1/2 हो गया । धूलीलाल एवं उनकी पत्नी पार्वती की मृत्यु उपरान्त उनका 1/4 हिस्सा उनके भाई बिरधीलाल के नाम दर्ज किया गया जाना चाहिए था तथा बिरधीलाल की मृतयु उपरान्त उनका 1/4 हिस्सा एवं उनके सगे भाई धूलीलाल से प्राप्त 1/4 हिस्सा तद्नुसार 1/2 हिस्सा वादी एवं बिरधीलाल के अन्य वारिसान के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था परन्तु राजस्व विभाग एवं सेटलमेंट विभाग ने लापरवाही करते हुए किशन के वारिसान तथा किशन के भाई कालू उर्फ काल्या का हिस्सा वादग्रस्त अराजियात में 2/3 दर्ज कर दिया और वादी एवं उसके पिता स्वर्गीय बिरधीलाल के अन्य वारिसान का हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया जो गलत है । वादग्रस्त अराजियात में वादी एवं उसके मृतक भाई औंकार एवं शांतिलाल के वारिसान 1/2 हिस्से पर काबिज हैं और शेष 1/2 हिस्से पर किशन के वारिसान और कालू उर्फ काल्या काबिज है । वादी की मॉं गोमदी बाई एवं वाद की बहिनें अमोलक बाई, शांति बाई एवं कैलाश बाई वादी एवं वादी के मृतक भाई औंकार

एवं शांतिलाल के पुत्रों के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने के कारण अपने हिस्से को उनके पक्ष में परित्याग कर दिया । इसी प्रकार औंकार की बेवा एवं उसकी पुत्रियॉं धनकंवर, धापू एवं मंजू भी अपने भाई राजेन्द्र एवं धनेश को अपना हिस्सा देना चाहती हैं । इसी प्रकार शांति बाई की बेवा गंगा बाई एवं दो पुत्रियॉं राममूर्ति बाई एवं संतोष बाई तथा पुत्र महेन्द्र, राधेश्याम, जयप्रकाश भी अपने भाई विपुल बिहारी को अपना हिस्सा देकर अन्य सभी गंगाबाई, महेन्द्र, राधेश्याम, जयप्रकाश तथा पुत्रियॉं राममूर्ति बाई एवं संतोष बाई अपना नाम भू–अभिलेख से खारिज करवाना चाहते हैं । वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करावे ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से से अलग किया जाकर वादी के खाते दर्ज किया जावे और तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में भी अमल दरामद किया जावे ।

5. प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2010 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित कर दी। प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 18.05.2011 को निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2010 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.05.2011 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उक्त अपीलाधी निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट श्रीकिशन खातेदार की पुत्री है और उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था किन्तु अपीलान्ट को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है और भूमि का गलत तौर पर विभाजन कर दिया इस कारण अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार है । अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम अंकित होना कथन किया है और इसके अलावा स्वयं को प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने का भी कथन किया है । अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

10. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था

इसलिए उन्हें उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी । अपीलान्ट ग्राम कोटसुंवा व मण्डावरी के खाते की नकल लेने गयी तो पटवारी हल्का ने बताया कि शामलाती खाते की भूमियों का अदालत के आदेश से विभाजन हो गया है इस पर अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर मालूम किया तो उन्हें इसकी जानकारी प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 29.08.2016 को निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 02.09.2016 को नकल प्राप्त हुई । नकल प्राप्त करते ही अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में समक्ष प्रस्तुत की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

11. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

12. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट श्रीकिशन जी की पुत्री है और उसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित था किन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया और भूमि का गलत तौर पर विभाजन कर दिया । वादग्रस्त आराजी में श्रीकिशन जी का 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्से में श्रीकिशन जी के अन्य वारिसान के साथ बराबर का हक व हिस्सा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था किन्तु वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही दावा स्वीकार करवा लिया । वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार लालू जी थे जिनके चार पुत्र श्रीकिशन, कालू, धूलीलाल, कालू व बिरधीलाल का 1/3, 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में सही रूप से दर्ज हुआ है । किन्तु उसके बावजूद भी वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 जो बिरधीलाल का पुत्र है का 1/4 हिस्सा मानकर निर्णय पारित किया है । वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में केवल मात्र विभाजन का दावा प्रस्तुत किया था जिसमें केवल मात्र विभाजन की सहायता के बाबत् ही निर्णय व डिक्री पारित की जानी चाहिए थी । राजस्व रिकॉर्ड नकल ज़माबन्दी संवत् 2068–71 में वादी का 1/21 हिस्सा है जो सही है । अधीनस्थ न्यायालय को वादी का राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 1/21 हिस्सा ही अलग करना चाहिए था । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उसका 1/4 हिस्सा होना माकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने पत्रावली के रिकॉर्ड पर किसी प्रकार के कोई रिलीज सम्बन्धी रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नहीं किये जिसके आधार पर यह माना जा सके कि वादी के पक्ष में कोई रिलीज डीड का निष्पादन हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2010 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.05.2011 निरस्त फरमाये जावें ।

13. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट संख्या 23/5/1 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपीलान्ट के कथनों को समर्थन किया ।

14. डिक्री दिनांक 17.06.20210 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18.05.2011 बहाल रखे जावें ।

15. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था, जबकि अपीलान्ट श्रीकिशन जी की पुत्री है और वादग्रस्त आराजी में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2063 से 2066 प्रदर्श–1 के अनुसार ग्राम कोटसुवां की आराजी खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.77 हैक्टर भूमि चतुर्भुज, औंकार लाल, शान्तिलाल पुत्रान गोविन्दी बाई बेवा बिरधा, अमोलक, शान्ति, कैलाश बाई पुत्रियॉ बिरधा हिस्सा 1/3 श्रीकृष्ण, काल्या पुत्र लाल्या हिस्सा 2/3 के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 प्रदर्श– 2 के अनुसार ग्राम मण्डावरी की आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 4.38 हैक्टर कुल किता 02 की रकबा 4.76 हैक्टर भूमि चतुर्भुज, औंकार लाल, शान्तिलाल पुत्र बिरधा, गोमदी बेवा अमोलक, शान्ति, कैलाश बाई पुत्रियॉ बिरधा 1/3 लटरूलाल, धन्नालाल पुत्र किशनी बाई, पार्वती बाई, रतन बाई, रामप्यारी पुत्रियॉ छोटी बाई बेवा श्रीकृष्ण हिस 1/3 काल्या पुत्र लाल 2/9 शान्ति बाई पत्नी कन्हैया लाल 1/9 जाति माली सा0 घघटाना के नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड यथा नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट श्रीमती रामप्यारी पुत्री श्रीकिशन हैं । श्रीकिशन जी का वादग्रस्त आराजी ग्राम कोटसुवा एवं ग्राम मण्डावरी दोनों में हक – हिस्सा निहित है । ग्राम मण्डावरी की आराजी में अपीलान्ट रामप्यारी का नाम खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वह आवश्यक पक्षकार है । परन्तु वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट रामप्यारी को पक्षकार नहीं बनाया । वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया है जिसमें समस्त सहखातेदार आवश्यक पक्षकार होते हैं । अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा जो सजरा प्रस्तुत किया गया है उसमें अपीलान्ट का नाम अंकित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना प्राथमिक एवं अंतिम डिकी पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है ।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई रिलीज डीड भी संलग्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिकी जारी करने से पूर्व धनेश व विपिन बिहारी जो कि बिरधी के वारिसान हैं के द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज करवायी गई थी उन आपत्तियों पर कोई निस्तारण नहीं किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों में यह भी विवेचन नहीं किया कि किन प्रावधानों के प्रकाश में धूली लाल एवं उसकी पत्नी पार्वती की मृत्यु के बाद उनका सम्पूर्ण हिस्सा बिरधी लाल को प्राप्त हो गया । चूँकि लालू जी के दो पत्नियॉ थी अतः अलग–अलग पत्नी से उत्पन्न होने पर भी श्रीकिशन, कालू, धूलीलाल व बिरधीलाल भाई ही माने जावेगें, चारों भाईयों के प्राकृतिक पिता एक ही हैं, यह स्वीकृत तथ्य है । अलग–अलग पत्नी से उत्पन्न होने के कारण अलग पत्नी से उत्पन्न संतान के आधार पर धूली लाल को बिरधीलाल के ही भाई नहीं हुए अपितु, दो अन्य श्रीकिशन व कालू भी उनके भाई ही हुए । हालांकि इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली

पर नहीं हैं । अतः उक्त स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है । स्वीकारात्मक जवाबदावा आने के कारण वाद डिक्री कर दिया गया । परन्तु हमारे विनम्र मत में चूँकि धूली लाल व उसकी पत्नी पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार निर्वसीयती ही फौत हुए हैं । अतः धूली लाल के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में तथ्यों के प्रकाश में इसका स्पष्ट विवेचन व विश्लेषण कर निर्णय करना चाहिए था । जमाबन्दी संवत् 2064 से 2067 ग्राम मण्डावरी प्रदर्श– 2 के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार होने पर भी अपीलान्ट रामप्यारी को कोई हक हिस्सा अंतिम डिक्री में नहीं दिया गया तथा न ही रामप्यारी अपीलान्ट की ओर से कोई स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया है । न्यायालय हाजा में भी आदेशिका दिनांक 08.12.2017 अनुसार "वकील अपीलान्ट उपस्थित । सम्मन रेस्पोडेन्ट 16.11.2017 को रजिस्टर्ड एडी जारी । रेस्पोडेन्ट 1, 5, 7 से 15 तक स्वयं उप0 । स्टे पेशी तक बढाया जाता है । रिकॉर्ड तलब पत्रावली दिनांक 16.02.2018 को पेश हो।" इस प्रकार न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 08.12.2017 के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 7 से 15 तक की उपस्थिति दर्ज की गई है तथा उपस्थिति के रूप में इनके हस्ताक्षर हैं । रजिस्टर्ड एडी सम्मन जारी होने के उपरान्त भी अन्य रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं हुए हैं । रेस्पोडेन्ट संख्या 23/5/1 को छोड़कर किसी भी रेस्पोडेन्ट ने कोई जवाब न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत नहीं किया है। विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 23/5/1 ने अपीलान्ट के कथनों को समर्थन किया है । रिकॉर्डेड खातेदार को बंटवारे के वाद में पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक है तथा प्रकरण में एक अन्य तथ्य धूली लाल के हिस्से की भूमि के बंटवारे में भी स्पष्टता का अभाव है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2016/436 एवं अपील संख्या 2016/438 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2010 एंव अंतिम डिक्री दिनांक 18.05.2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करें तत्पश्चपात् प्राथमिक डिक्री के आधार पर नियमानुसार अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 17.03.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

19. निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा